कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,सामाजिक वानिकी, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– 3600 / 14–1, बरेली, दिनांक, 09 / अप्रैल/ 2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद बदायूँ में बदायूँ– कादरचौक गंगपुर मार्ग के कि0मी0 के चैनेज 0.765 के वायी पटरी पर ग्राम शेखूपुर तहसील व जिला बदायूँ में स्थित गाटा सं0 282 पर इण्डियन आयल का0लि0 के किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु 0.049748 है0 संरक्षित वन भूमि पर विना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:– आपका पत्रांक–2812 / बदायूँ / 29427 / 2017 दिनांक 03.04.2018

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, बदायूँ ने अपनी पत्र संख्या– 2942 / 14–1 दिनॉक 07.04.2018 के द्वारा वर्णित आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न प्राक्कलन सुसंगत नहीं है। 100 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण व अनुमानित वृद्धि का समावेश करते हुए संशोधित वृक्षारोपण का प्राक्कलन ऑनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।	प्राक्कलन को संशोधित कर आनलाईन कर दिया गया है तथा प्राक्कलन की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
2	उक्त बिन्दु के कम में वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थ का डिजिटल मैप के के0एफ0एल0 फाईल, स्थल चिन्हित टोपोशीट व उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भी संशोधित कर आनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।	उक्त बिन्दु के कम में वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थ का डिजिटल मैप, के के0एफ0एल0 फाईल, स्थल चिन्हित टोपोशीट व उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भी संशोधित कर दिया गया है तथा आनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जा रही है।
3	परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं है। आनलाईन पाट–2 में अंकित वानस्पतिक घनत्व को संशोधित करने का कश्ट करें तथा आनलाईन पार्ट–'2 की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही है। आनलाईन पार्ट–2 में अकिंत वानस्पतिक घनत्व को संशोधित कर दिया गया है तथा ऑनलाइन पार्ट–2 की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जा रही है।
4	पृष्ठ–23 पर संलग्न एन0पी0वी0 के गणना–पत्र के शीर्षक में वन भूमि का मूल्य का आंकलन अंकित है, जिसे संशोधित कराने का कष्ट करें उपरोक्त बिन्दु–3 के कम में एन0पी0वी0 की गणना को भी संशोधित कर आनलाईन अलपोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।	पृष्ठ–23 पर संलग्न एन0पी0वी के गणना–पत्र के शीर्षक में वन भूमि का मूल्य का आंकलन कर संशोधित कर दिया गया है उपरोक्त बिन्दु–3 के कम में एन.पी.वी. की गणना को भी संशोधित कर आनलाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव के पृष्ठ–31 पर संलग्न अभिलेख का आशय स्पष्ट नहीं है। प्रभागीय निदेशक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करें, कि परियोजना में 0.049848 है0 संरक्षित वनभूमि प्रस्तावित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त परियोजना में चिन्हित वन स्वरूप की कोई भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	प्रभागीय निदेशक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया गया ।

संलग्नकः– प्रस्ताव 03 प्रति में।

भवदीय,

(पी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– (1) / 14–1, दिनॉकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, बदायूँ को उनके पत्रांक 2942 / 14–1 दिनांक 07.04.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।